



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार 17 मार्च, 1973

फाल्गुन 26, 1894 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1001/सत्रह-वि०-1—23-1973

लखनऊ, 17 मार्च, 1973

विज्ञप्ति

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 पर दिनांक 17 मार्च, 1973 ई० को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1973 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1973)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 का अग्रोत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1973 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 में, धारा 2 की उपधारा (1) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "साढ़े तीन वर्ष" रख दिये जायें। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1970 की धारा 2 का संशोधन

No. 1001 (2)/XVII—V-1/23-1973

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis Tatha Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1973) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 17, 1973 :

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS
(ALPAKALIK VYAVASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1973

[U. P. ACT No. 10 OF 1973]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads
(Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1970*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fourth Year of the Republic of India,
as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973.

Amendment of section 2 of U. P. Act XXII of 1970. 2. In the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1970, in section 2, in sub-section (1), for the words "three years", the words "three and a half years" shall be substituted.

माझा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।